न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदेश हुक्म

संक्षेपण करते हुए [illegible] खसरा नम्बर 2266 रकबा 0.12 हैक्टर व विभाजन करते हुए बाकी को खसरा नम्बर 1733/1 रकबा 1.2320 हैक्टर भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को भूमि खसरा नम्बर 2437 रकबा 0.11 हैक्टर व खसरा नम्बर 1733/2 रकबा 1.0080 हैक्टर भूमि दिया जाना न्यायोचित समझते हुए वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत विभाजन प्रस्ताव को न्यायहित मे स्वीकार योग्य नही पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

प्रकरण में मूल वादपत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश मूल वादपत्र पत्रावली दिनांक 08.02.2024 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

08.02.2024

पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक संघ श्रीमाधोपुर द्वारा न्यायालय कार्य का स्थगन कर रखा है। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय आदेश मूल वादपत्र पत्रावली दिनांक 09.02.2024 को पेश हो। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।

(रीडर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

09.02.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 57/भू.अ./24 दिनांक 11.01.2024 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय [illegible] लिखाया जाकर पृथक से लिखित पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पक्षकारान डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:08 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक (अन्तिम डिक्री)
134 / 2023	2023 / 1145	20.09.2023	09.02.2024

1. राधेश्याम पुत्र देवीसहाय जाति ब्राह्मण आयु 75 साल निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— वादी——

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र सत्यनारायण आयु 45 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. उर्मिला देवी आयु 43 साल पुत्री सत्यनारायण पत्नी गोपाल पारीक जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल सुसराल तुलसीरामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
3. कविता देवी आयु 40 साल पुत्री सत्यनारायण पत्नी श्रवण कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल सुसराल सिंगरावट वाया लोसल जिला सीकर
4. निर्मला देवी आयु 35 साल पुत्री सत्यनारायण पत्नी अरूण पारीक जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल सुसराल वार्ड नम्बर 25 खण्डेला जिला सीकर
5. सुमित्रा देवी आयु 35 साल पुत्री सत्यनारायण पत्नी राजेन्द्र पारीक जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल सुसराल वार्ड नम्बर 25 खण्डेला जिला सीकर
6. उप पंजीयक / सब रजिस्ट्रार तहसील श्रीमाधोपुर।
7. पटवारी हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर।
8. भूमिधारी तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर।

——प्रतिवादीगण——

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:08 IST
Reason: SelfAttested

09/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित : –

श्री अरविन्द कुमार शर्मा एड0 वादी अभिभाषक।

श्री कमल कुमार शर्मा एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से।

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1733, 2266, 2437 कुल किता 3 कुल रकबा 2.47 हैक्टर तन् ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके खातेदार काश्तकार जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा खातेदारी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 हैं। उक्त वर्णित भूमियां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियों है। जिसका अभी तक विधिक तकास्मा नहीं हुआ है। वादी अपनी हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि पर मौके पर पूर्णतः काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 उक्त वर्णित भूमियों को बिना विधिक तकास्मा करवाये दीगर भूमाफिया गिरोह के लोगों को बेचान रहन अन्तरण कर दीगर का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही जगह पर करवाने पर उतारू है एवं कृषि भूमि को बिना भू–रूपान्तरण के कृषि से अकृषि मे परिवर्तन करने पर एवं वादी को उसके हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने व दिगर से करवाने पर उतारू है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण को भूमियों का मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:08 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 15.09.2023 को इंकार हो गये। एवं कृषि भूमियों को बिना विधिक तकास्मा करवाये दिगर को विक्रय रहन कर दिगर का बलात कब्जा संयुक्त खातेदारी की आड़ में मनमर्जी से मनचाही जगह पर करवाने एवं वादी को उसकी हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करवाने की धमकी दिये जाने से वादकारण उत्पन्न हुआ। वादी ने अनुतोष चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1733, 2266, 2437 कुल किता 3 कुल रकबा 2.47 हैक्टर तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य मौके के कब्जा काश्त व हक हिस्सा एवं खातेदारी अनुसार विधिक तकास्मा करवाया जाकर वादी को उसकी हक हिस्सा एवं खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से अमान कायम किया जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद [illegible] का निवेदन किया।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री कमल कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी श्री अरविन्द कुमार शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री कमल कुमार शर्मा ने "खातेदारी में दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण व वादी का विधिक विभाजन कर दिया जावें तो को एतराज नहीं होना" आदेशिका पर अंकित कर अपने–अपने हस्ताक्षर कर प्रारम्भिक डिक्री हेतु सहमति दी है। अतः प्रकरण बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण मे पक्षकारान के विधिक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] जाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिकी दिनांक 18.12.2023 को [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी दिनांक 18.12.2023 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल

09/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 5083/रीडर/2024 दिनांक 28.12.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 57/भू.अ./2024 दिनांक 11.01.2024 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर प्राप्त विधिक विभाजन से सहमत होते हुए वकील प्रतिवादी ने प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादी ने एक आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत विभाजन बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा गलत रूप से बिना वादी/प्रार्थी को सूचना दिये प्रतिवादी पक्ष से साज करके मौके के कब्जा काश्त के विपरित मनमर्जी का विभाजन प्रस्ताव तैयार करके भिजवाया गया है। जिसमे वादी के मौके पर बाहमी बंटवारा के अनुसार अपनी हक हिस्सा व खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि सम्पूर्ण क्षेत्रफल मौके पर केवल मात्र खसरा नम्बर 1733 रकबा 2.24 हैक्टर में ही सड़क के सटाकर लगती हुई भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जबकि तहसीलदार द्वारा वास्तविक विभाजन प्रस्ताव नहीं भिजवाकर विपरित विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है। जिसे निरस्त फरमाया जाकर मौके का वास्तविक विभाजन प्रस्ताव मौके के कब्जा काश्त अनुसार मॅगवाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वही वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस अवगत कराया कि वादी/प्रार्थी द्वारा अपना कब्जा केवल मात्र खसरा नम्बर 1733 रकबा 0.24 हैक्टर में ही अपना कब्जा होने का तथ्य गलत, मनघड़न्त व बनावटी है। वादी का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। प्रत्येक खातेदार अपने नाम दर्ज भूमि का [illegible] व भू होल्डिंग सम्भावना के अनुरूप सही बंटवारा कराने का विधिक अधिकार होने से उसे उसके हक हिस्से एंव खातेदारी में दर्ज प्रत्येक खसरा नम्बरान् में बंटवारें में भूमि वैधानिक रूप से दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बाबत विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:08 IST
Reason: SelfAttested

09/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रस्ताव को खारिज की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। हमने प्रार्थना पत्र आपत्ति पर वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देश दिनांक 05.10.2020 में वर्णित राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु जरिये पत्रांक 3099–3106/भू.अ. दिनांक 01.01.2024 के द्वारा दिनांक 05.01.2024 को समय 12.30 बजे राजी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1733, 2266, 2437 तन् ग्राम महरोली का मौका निरीक्षण करते हुए बहमराह पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक के साथ मौका देखने जाकर मौतबिरान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय वादी स्वंय असालतन या वकालतन उपस्थित होकर चाराजोही कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता था। जबकि वादी के द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के दौरान वादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से वादी व प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 1733 में उत्तर–दक्षिण दिशा में हिस्सानुसार जमीनें दिया जाना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव में केवल मात्र खसरा नम्बर 1733 का ही विभाजन करके प्रस्ताव भिजवाये गये है तथा खसरा नम्बर 2266 व 2437 का विभाजन नहीं कर संयुक्त खातेदारी में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गयें है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुए पक्षकारान् को मौका मुआयना अनुसार खसरा नम्बरान् का विधिक विभाजन करते हुए वादी को खसरा नम्बर 2266 रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा नम्बर 1733/1 रकबा 1.2320 हैक्टर भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को भूमि खसरा नम्बर 2437 रकबा 0.11 हैक्टर व खसरा नम्बर 1733/2 रकबा 1.0080

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:08 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हैक्टर भूमि दिया जाना न्यायोचित समझते हुए वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत विभाजन प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत विभाजन प्रस्ताव खारीज हो जाने से प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु वकील प्रतिवादीगण ने जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र में में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादपत्र में अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

—: कियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 11.01.2024 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:—

जमाबंदी के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :—

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
	उर्मिला पुत्री सत्यनारायण हिस्सा 9/100 जाति ब्राह्मण कविता पुत्री सत्यनारायण हिस्सा	1733 2266	2.24 0.12	बारानी3 बारानी3	4.17 0.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:08 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	9/100 जाति ब्राह्मण दिनेश कुमार पुत्र सत्यनारायण हिस्सा 9/100 जाति ब्राह्मण निर्मला देवी पुत्री सत्यनारायण हिस्सा 9/100 जाति ब्राह्मण सुमित्रा देवी पुत्री सत्यनारायण हिस्सा 9/100 जाति ब्राह्मण राधेश्याम पुत्र देवी सहाय हिस्सा 11/20 जाति ब्राह्मण	2437	0.11	बंजड	0.10
	योग खाता	किता–3	2.47		4.49

नकशे के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	एकबा (हैक्टएमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1.	उर्मिला देवी, कविता देवी, निर्मला देवी, सुमित्रा देवी पुत्रियां सत्यनारायण, दिनेश कुमार पुत्र सत्यनारायण हिस्सा 9/20 हि0 बराबर जाति ब्राह्मण	2437	0.11	बंजड	0.10
2.	राधेश्याम पुत्र देवीसहाय हिस्सा 11/20 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	2266	0.12	बारानी 3	0.22
3.	राधेश्याम पुत्र देवीसहाय जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	1733/1	1.2320	बारानी 3	2.29
4.	उर्मिला देवी, कविता देवी, निर्मला देवी, सुमित्रा देवी पुत्रियां सत्यनारायण, दिनेश कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	173	1.0080	बारानी 3	1.88

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:08 IST
Reason: SelfAttested

02/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकरकार्यालय)

नोटः— खातेदार दिनेश कुमार ब्राह्मण द्वारा पूर्व में हल्का पटवारी महरोली को हक त्याग प्रस्तुत किया था। जिसके अनुसार ख0न0 1733, 2266, 2437 किता 3 रकबा 2.47 हैक्टर में उर्मिला देवी, कविता देवी, निर्मला देवी, सुमित्रा देवी पुत्रियां सत्यनारायण जाति ब्राह्मण द्वारा अपने सगे भाई दिनेश कुमार पुत्र सत्यनारायण के पक्ष में अपने हिस्से कि भूमि का हकत्याग किया गया है। उक्त दस्तावेज का उपपंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर में दिनांक 21.09.2023 को पंजीकृत हुआ हैं।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किये जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 57/भू.अ./24 दिनांक 11.01.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

09/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:08 IST
Reason: SelfAttested

09/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)